

डिक्री व मुकदमा इबतदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री सुहादी उम शमशुदा नामक R.A.S

श्री सुहादी उम शमशुदा बनाम श्री
पिता गोपाल जासकि 1-2 - खुशिया, उडाडी/0 लडकनजार
बनारिका

बनारिका

- वाडी

- 3- सज. 10/0 खडी जार
- 4- सलोके 10/0 खडी 10/0 खडी
- 5- द. 10/0 खडी 10/0 खडी

- सुहादी उम

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 RTA

मुकदमा नम्बर 45 सन् 09 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व X मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है। डिक्री दी जाती हैं कि :-

वाडी इ. 10/0 वाड 10/0 नो कर्नेवादी न. 10/0
वाहने से खसिज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सुद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख द
सूलयाबी तक अदा करें ।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 23 माह 9 सन् 17



उपखण्ड अधिकारी
महायक सुपेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)